न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	दावा मु.नं. – 123/2010	
11-8-23	पत्रावली पेश हुई। वकलाय [illegible] [illegible] वीडियोतीन अधिकारी [illegible] में समन/नोटिस [illegible] [illegible] कार्यवाही हेतु [illegible] 22-8-23 को पेश हो।	
22.08.2023	पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय उभय पक्षकारान् उपस्थित। प्रकरण में न्यायालय द्वारा जारी प्रारम्भिक डिक्री की पालना में तहसीलदार श्रीमाधोपुर से विधिक विभाजन प्रस्ताव मय कुर्रेजात रिपोर्ट मय नजरी नक्शा के तहसीलदार श्रीमाधोपुर के जरिये पत्रांक 1157/भू.अ./2023 दिनांक 12.07.2023 के द्वारा प्राप्त हुये। जो शामिल पत्रावली किये गये। वादीगण अभिभाषक ने प्रकरण के बंटवारा से सम्बन्धित होने तथा प्रकरण में तहसीलदार श्रीमाधोपुर से विधिक विभाजन प्रस्ताव कुर्रेजात रिपोर्ट प्राप्त हो जाने तथा उक्त विधिक विभाजन प्रस्ताव से सहमति व्यक्त करते हुए प्राप्त विधिक विभाजन प्रस्ताव अनुसार प्रकरण में अन्तिम डिक्री जारी किये जाने हेतु वाद पत्र में आज ही बहस सुनी जाकर वादपत्र का निस्तारण किये जाने का निवेदन किया। जिस पर उपस्थित वकील प्रतिवादीगण द्वारा विभाजन प्रस्ताव से सहमति व्यक्त करते हुए अन्तिम डिक्री जारी किये जाने हेतु अनापत्ति पेश की। वकील वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र स्वीकार किये जाने योग्य पाये जाने पर न्यायहित में स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है। तहसीलदार श्रीमाधोपुर से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट मय विभाजन प्रस्ताव को अंतिम डिक्री का [illegible] जाता है। प्रकरण में मेरे द्वारा [illegible] शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय [illegible] डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील [illegible]खिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। 22/08/23 (दिलीप सिंह) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)	

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.10.25 15:08:29 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला नीमकाथाना राजस्थान
पीठासीन अधिकारी – श्री दिलीप सिंह (RAS)

प्रकरण संख्या	जीसीएमएस	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
123 / 2020	2020 / 00280	19.11.2020	22.08.2023

उनवान प्रकरण

1. गुल्लाराम पुत्र माला आयु 64 वर्ष
2. जगदीश पुत्र माला आयु 59 वर्ष

समस्त जाति बलाई निवासीगण ग्राम कंचनपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0)

–वादीगण–

बनाम्

1. लक्ष्मण पुत्र नाथू आयु 50 वर्ष
2. राजेन्द्र पुत्र नाथू आयु 40 वर्ष
3. लालचन्द पुत्र नाथू आयु 38 वर्ष
4. ओमप्रकाश पुत्र सुखा आयु 47 वर्ष
5. फूलचन्द पुत्र सुखा आयु 58 वर्ष
6. रामेश्वर पुत्र नारायण आयु 73 वर्ष
7. चन्दाराम पुत्र नारायण आयु 68 वर्ष
8. तीजा पुत्री नारायण आयु 65 वर्ष
9. श्योपाली पत्नि स्व. गिरधारी पुत्र नारायण (मृतक) आयु 60 वर्ष
10. सांवरमल पुत्र स्व. गिरधारी आयु 44 वर्ष

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.10.25 15:08:29 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी

22/08/23
(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
(नीमकाथाना)

11. अशोक पुत्र स्व. गिरधारी आयु 36 वर्ष
12. मनोज पुत्र स्व. गिरधारी आयु 33 वर्ष
13. पंकज पुत्र स्व. गिरधारी आयु 30 वर्ष
14. अनिकेत पुत्र स्व. गिरधारी आयु 26 वर्ष
15. मेनका पुत्री स्व. गिरधारी आयु 28 वर्ष
16. गोठी पत्नि स्व. मोहरसिंह पुत्र नारायण आयु 55 वर्ष
17. लालचन्द पुत्र स्व. मोहरसिंह आयु 35 वर्ष
18. ननकू पुत्र स्व. मोहरसिंह आयु 30 वर्ष
19. अनिता पुत्री स्व. मोहरसिंह आयु 36 वर्ष
20. कमला पुत्री स्व. मोहरसिंह आयु 33 वर्ष
21. रजनी पुत्री स्व. मोहरसिंह आयु 24 वर्ष
22. माली पत्नि स्व. हणमान आयु 90 वर्ष
23. बसन्ती पत्नि मुक्तिलाल पुत्र लच्छू आयु 49 वर्ष
24. संतोष पुत्री लच्छू आयु 48 वर्ष
25. सुभाष पुत्र स्व. मुक्तिलाल आयु 32 वर्ष
26. राहुल पुत्र स्व. मुक्तिलाल आयु 19 वर्ष
27. साहिल पुत्र स्व. मुक्तिलाल आयु 18 वर्ष
28. आशा पुत्री स्व. मुक्तिलाल आयु 25 वर्ष

समस्त जाति बलाई निवासीगण ग्राम कंचनपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर

29. भूमिधारी जरिये तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0)

––प्रतिवादीगण––

उपस्थित :–

श्री अनिल यादव, एड0 वादीगण अभिभाषक [illegible]

श्री बजरंग लाल यादव, एड0 प्रतिवादी [illegible] 10, 23, 25 से 27

सरकारी पैरोकार नायब तहसीलदार श्रीमाधोपुर [illegible] प्रतिवादी संख्या 6 की ओर से।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.10.25 15:08:29 IST
Reason: SelfAttested

22/08/23
(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

वाद पत्र बाबत् तकास्मा एवं स्थाई निषेधाज्ञा
(अन्तर्गत धारा 88, 188 राज. काश्त. अधि. 1955)

–:: निर्णय ::–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि वादीगण ने एक वाद खिलाफ प्रतिवादीगण इस आशय से प्रस्तुत किया है कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 356 रकबा 0.03 हैक्टर, खसरा नम्बर 357 रकबा 2.32 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 2.35 हैक्टर तन ग्राम कंचनपुर पटवार हल्का कंचनपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0) में अवस्थित है जिसकी 1/18 हिस्से की खातेदारी वादी नम्बर 1 के एंव 1/18 हिस्से की खातेदारी वादी नम्बर 2 के एंव 1/18 हिस्से की खातेदारी प्रतिवादी नम्बर 1 के एंव 1/18 हिस्से की खातेदारी प्रतिवादी नम्बर 2 के एंव 1/18 हिस्से की खातेदारी प्रतिवादी नम्बर 3 के एंव 1/12 हिस्से की खातेदारी प्रतिवादी नम्बर 4 के एंव 1/12 हिस्से की खातेदारी प्रतिवादी नम्बर 5 के एंव 1/6 हिस्से की खातेदारी प्रतिवादी नम्बर 6 ता 21 के मृत्तक पिता/ससुर/दादा नारायण के नाम एंव 1/6 हिस्से की खातेदारी प्रतिवादी नम्बर 22 के पति मृत्तक हणमान के एंव 1/6 हिस्से की खातेदारी प्रतिवादी नम्बर 23 ता 28 के पिता/ससुर/दादा स्व. लच्छा उर्फ लच्छू के नाम के नाम राजस्व रिकार्ड में अंकित है। उक्त वर्णित भूमियो को पक्षकारान ने आपसी सहुलियत के हिसाब से बाह्मी बंटवारा कर रखा है तथा मौके पर अपने अपने हिस्से अनुसार काबिज काश्त चले आ रहे है लेकिन अभी तक कोई विधिक बंटवारा नही हुआ है। इसलिये उक्त भूमि का वादीगण का प्रतिवादीगण की शामिल खातेदारी में काश्त किया जाना असम्भव हो गया है तथा वादीगण अपनी आवश्यकतानुसार अपनी भूमि को समुचित विकास एंव उपयोग–उपभोग करने से महरूम हो रहे है। इसलिये उक्त वर्णित भूमि का [illegible] जाना न्यायोचित एंव आवश्यक हो गया है। प्रतिवादीगण उक्त वर्णित भूमि को [illegible] विधिक बटवारा करवाये ही निर्माण करने एंव कृषि भूमि को [illegible] करने की धमकीयाँ दे रहे है

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.10.25 15:08:29 IST
Reason: SelfAttested

22/08/23
(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
[illegible]पुर (नीमकाथाना)

व वादीगण को उनके हक हिस्से से महरूम कर बेदखल करने की धमकीयाँ दे रहे है व कुचेष्टा कर रहे है जिनको शामलाती भूमियो का बिना बंटवारा कराये कोई हक अधिकार किसी प्रकार का नही है। वादीगण को प्रतिवादीगण ने काफी हैरान परेशान कर रखा है, कहने सुनने से प्रतिवादीगण मान नही रहे हैं। इसलिए प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द किया जाना न्यायहित में आवश्यक हैं। उक्त वर्णित भूमियो का बंटवारा नहीं होने से वादीगण को सख्त हकतलफी हैं। इसलिए उक्त भूमियों का बाई मीट्स एण्ड बाउण्डस विधिक बंटवारा करवाया जाकर खातेदारी अलग–अलग अंकित करवाने हेतु दिनांक 20.10.2020 को प्रतिवादीगण को कहा तो प्रतिवादीगण ने कानूनी बंटवारा करवाने से स्पष्ट इंकार कर दिया। उक्त वादग्रस्त आराजीयात वादीगण व प्रतिवादीगण के नाम दर्ज किये जाने हेतु वाद वास्ते तकास्मा एवं स्थाई निषेधाज्ञा बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा हैं।

इस पर वादीगण वाद पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। जिस पर वादीगण के पक्ष में प्रतिवादीगण नम्बर 2 ता 5, 10, 23, 25 से 27 की ओर से श्री बजरंग लाल यादव एड0 ने राजीनामा पेश कर राजीनामा सही होना स्वीकार किया। प्रतिवादीगण नम्बर 6, 7, 9, 11, 12, 14 से 16, 19, 20, 22, 24, 28 की ओर से श्री सुनिल जांगिड सरपंच ग्राम पंचायत कंचनपुर ने प्रस्तुत राजीनाम में प्रतिवादीगण की पहचान की। प्रतिवादी नम्बर 1, 8, 13, 17, 18, 21 व 29 के सम्मन नोटिस जरिये रजिस्टर्ड डाक से हो जाने व डाक विभाग की ट्रेकिंग रिपोर्ट प्राप्त हो जाने के बावजूद उपस्थित नहीं आने पर उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

वादीगण अभिभाषक ने निवेदन किया कि प्रतिवादीगण संख्या 2 से 7, 10 से 12, 14 से 16, 19 से 20, 22 से [illegible] के [illegible] वादीगण के पक्ष में राजीनामा पेश कर दिये जाने तथा प्रतिवादीगण संख्या 1, 8, [illegible] 17, 18, 21 व 29 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाने एवं प्रकरण में [illegible]ील वादीगण के निवेदन पर प्रकरण

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.10.25 15:08:29 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

22/08/23
(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
(नीमकाथाना)

मे विधिक विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार श्रीमाधोपुर से मंगवाये जाने हेतु न्यायालय द्वारा प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 13.04.2022 को जारी की गई थी।

प्रकरण में प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 13.04.2022 को जारी की जाकर तहसीलदार श्रीमाधोपुर से विधिक विभाजन प्रस्ताव राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम– 18 से 21 के अनुसार एंव राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के पत्रांक राम/न्याया/स्था/प–51/2008/विविध 10346 दिनांक 05.10.2020 में वर्णित दिशा निर्देशानुसार प्रारम्भिक डिक्री जारी की जाकर जरिये पत्र क्रमांक 845/रीडर/2022 दिनांक 10.05.2022 एवं 1410/रीडर/2022 दिनांक 25.10.2022 के द्वारा पालना रिपोर्ट मय विधिक विभाजन प्रस्ताव मय कुर्रेजात रिपोर्ट अलग–अलग रंगो में तैयार कर तहसीलदार श्रीमाधोपुर से चाही गई थी। जिसकी पालना में तहसीलदार श्रीमाधोपुर से विधिक विभाजन प्रस्ताव कुर्रेजात रिपोर्ट मय नजरी नक्शा के जरिये पत्रांक 1157/भू.अ./2023 दिनांक 12.07.2023 के द्वारा प्राप्त हुये। जो शामिल पत्रावली संलग्न है।

वकील वादीगण ने प्रकरण में समस्त पक्षकारान् में से कुछ प्रतिवादीगण के द्वारा वादीगण के पक्ष में राजीनामा पेश कर दिये जाने तथा कुछ प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाने तथा प्रकरण में तहसीलदार श्रीमाधोपुर से विधिक विभाजन प्रस्ताव कुर्रेजात रिपोर्ट प्राप्त हो जाने से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट से वकील वादीगण ने सहमत होते हुए उसके अनुसार प्रकरण में आज ही बहस सुनी जाकर प्रकरण में अन्तिम डिक्री जारी किये जाने का निवेदन वकील वादीगण ने किया। वकील वादीगण ने प्रारम्भिक डिक्री की पालना में प्राप्त विधिक विभाजन प्रस्ताव व कुर्रेजात रिपोर्ट में अंकित विवरणानुसार अन्तिम डिक्री जारी किये जाने में कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर किया। वकील वादीगण के निवेदन व वकील प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर प्रकरण ... सम्बन्धित होने से अन्तिम डिक्री जारी किया जाना न्यायहित में उचित समझता हूँ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.10.25 15:08:29 IST
Reason: SelfAttested

22/08/23
(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

कियात्मक आदेश :–

अतः उपर्युक्त विश्लेषण से वादीगण का वाद बाबत बंटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा को स्वीकार किया जाकर अन्तिम रूप से डिकी किया जाता है। इस प्रकार वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य हुए बंटवारा अनुसार तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा प्रस्तुत कुर्रेजात रिपोर्ट मय नजरी नक्शा अनुसार दिनाक 12.07.2023 मे वर्णित विधिक विभाजन प्रस्ताव, नजरी नक्शा ट्रेस के अनुसार निम्न प्रकार से विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किया जाता है:–

मौके के अनुसार खाते का विभाजन प्रस्ताव :–

प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव

खाता संख्या	काश्तकारों के नाम मय हिस्सा	प्रस्तावित खसरा न.	रकबा (हैक्टेमें)	किस्म	लगान (रू. में)
1	माली देवी पत्नि स्व0 हणमान जाति बलाई सा0 देह खातेदार	357 / 1	0.37	बारानी–1	0.90

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.10.25 15:08:29 IST
Reason: SelfAttested

22/08/23

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी

	रामेश्वर, चन्द्राराम पिता नारायण हिस्सा 2/5 तीजा देवी पुत्री नारायण हिस्सा 1/5. श्योपाली पत्नि स्व0 गिरधारी, सांवरमल, अशोक, मनोज, पंकज, अनिकेत पि0 गिरधारी, मेनका पुत्री गिरधारी हिस्सा 1/5 भोठी पत्नि स्व0 मोहरसिंह, लालचन्द ननकू पि0 मोहरसिंह अनिता कमला रजनी पुत्रियां मोहनसिंह हिस्सा 1/5 समस्त जाति बलाई सा0 देह खातेदार	357/2	0.37	बारानी 1	1.90
3	ओमप्रकाश पुत्र सुखा जाति बलाई सा0 देह खातेदार	357/3	1.1850	बारानी 1	0.95
4	फूलचन्द पुत्र सुखा जाति बलाई सा0 देह खातेदार	357/4	0.1850	बारानी 1	0.95
5	माली देवी पत्नि स्व0 हणमान हिस्सा 1/6 रामेश्वर, चन्द्राराम पि0 नारायण हिस्सा 1/15	356 357/5	0.03 [illegible]	बारानी 1 बारानी 1	[illegible] 0.52

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.10.25 15:08:29 IST
Reason: SelfAttested

22/08/23
(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

	तीजा देवी पुत्री नारायण हिस्सा 1/30 श्योपाली पत्नि स्व0 गिरधारी, सांवरमल, अशोक, मनोज, पंकज, अनिकेत पि0 गिरधारी, मेनका, पुत्री गिरधारी हिस्सा 1/30 गोठी पत्नि स्व0 मोहरसिंह , लालचन्द ननकू पि0 मोहरासिंह, अनिता, कमला, रमनी पुत्रियां मोहरासिंह हिस्सा 1/30 ओमप्रकाश, फूलचन्द पि0 सुखा हिस्सा 1/6 बसन्ती पत्नि मुक्तिलाल सुभाष, राहुल, साहित पि0 मुक्तिलाल, आशा पुत्री मुक्तिलाल हिस्सा 1/12 संतोष पुत्री लच्छू हिस्सा 1/12 लक्ष्मण, राजेन्द्र, लालचन्द पि0 नाथू हिस्सा 1/6 गुल्लाराम जगदीश प्रसाद पि0 माला हि0 1/6 समस्त जाति बलाई सा0 देह खातेदार				
6	बसन्ती पत्नि मुक्तिलाल सुभाष, राहुल, साहिल पि0 मुक्तिलाल, आशा पुत्री मुक्तिलाल हिस्सा 1/2 संतोष पुत्री लच्छू हिस्सा 1/2 जाति बलाई सा0 देह खातेदार	357/6	0.37	बारानी–1	1.90

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.10.25 15:08:29 IST
Reason: SelfAttested

22/08/23

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

7	लक्ष्मण, राजेन्द्र, लालचन्द पि0 नाथू जाति बलाई सा0 देह खातेदार	357/7	0.37	बारानी–1	1.90
8	गुल्लाराम पुत्र माला जाति बलाई सा0 देह खातेदार	357/8	0.1850	बारानी	0.95
9	जगदीश प्रसाद पुत्र माला जाति बलाई सा0 देह खातेदार	357/9	0.1850	बारानी–1	0.95

अतः उपरोक्तानुसार राजस्व जमाबन्दी में अंकन स्वीकार किया जाकर पृथक–पृथक खाते कायम किये जाकर लगान फाटनी अलग–अलग की जावे। रहन इत्यादि हो तो बदस्तूर रखा जावें। तहसीलदार (भू.अ.) श्रीमाधोपुर के जरिये पत्रांक 1157/भू.अ./23 दिनांक 12.07.2023 के द्वारा प्राप्त विधिक विभाजन प्रस्ताव व इसके संलग्न नजरी नक्शा मय कुर्रेजात रिपोर्ट को अन्तिम डिक्री का भाग बनाया जाता है। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हों। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

22/08/23
(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

यह निर्णय आज दिनांक 22.08.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.10.25 15:08:29 IST
Reason: SelfAttested

22/08/23
(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)